नियम 144 : उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वसूली

(1) जहां किसी व्यतिक्रमी से शोध्य कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वसूल की जानी है वहां उचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वसूली प्रक्रिया पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है।

(2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई–नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–10** में विक्रय किये जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

(3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम दिन उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी :

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभावना हैं, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा।

(4) उचित अधिकरी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा।

(5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–11** में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा। बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–12** में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा।

(7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों के कारण से गैर–प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।